20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

253

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

नि/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/4730

अभय प्रताप सिंह पुत्र श्री जयसिंह ठाकुर
निवासी– गुलगंज तहसील विजावर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

1 निसार खॉ पुत्र स्व. बाबू रहमत खॉ
2 श्रीमती अनारबी पत्नी स्व. शम्मी खॉ
निवासी – पठान मोहल्ला विजावर तहसील बिजावर जिला – छतरपुर म0.प्र.
3 जयसिंह पुत्र श्री रंधीर सिंह ठाकुर
4 भावना सिंह पत्नी जय सिंह ठाकुर
निवासीगण – ग्राम गुलगंज तहसील बिजावर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

द्वारा आज दि. 29.11.17 को प्रस्तुत
पे.दि. 8-12-17

29/11/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजावर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 181/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम पंचायत गुलगंज द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 12.06.2001 को विधिवत् रूप से नामान्तरण आदेश आवेदक के नाम ग्राम गुलगंज राजस्व निरीक्षक मण्डल विजावर तहसील विजावर द्वारा वर्ष 2000–01 की नामान्तरण पंजी क्रमांक 18 में विधिवत् रूप से आदेश पारित किया गया था।

2– यहकि, उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 लगायत 2 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, विजावर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 181/2016–17 प्रस्तुत की गयी थी, जोकि स्पष्टतः अवधि वाह्य थी। इस संबंध में आवेदक की ओर से परिसीमा अधिनियम पत्र का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अपील अवधि वाह्य है। ऐसी स्थिति में इसी स्तर पर समाप्त की जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4730

अभय प्रताप सिंह विरूद्ध निसार खां आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजावर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 181/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य